

प्रपत्र-४

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पीपावास
व भू.अ.नि. कोटडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शेलमगरा / नायब
तहसीलदार जिण्डु की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम पीपावास तहसील शेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 03 120 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	पीपावास	03 120	पीरुलाल पुत्र कालु हिस्सा 1/13 जाति - बलाई सा. डेड खातेदार	पीरुलाल पुत्र कालु हिस्सा 1/13 जाति - बसालवी सा. डेड खातेदार

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक - 158

प्रतिलिपि -

दिनांक :- 3 OCT 2024

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

शेलमगरा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,